



पश्चिम मध्य रेल

केंद्रीय रेल चिकित्सालय जबलपुर को इमरजेंसी खरीदी के तहत दवाइयों एवं अन्य चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति हेतु ई-प्रोक्योरमेंट में भाग लेने हेतु फर्मों का पंजीयन

केंद्रीय रेल चिकित्सालय, जबलपुर इमरजेंसी खरीदी के तहत दवाइयाँ एवं अन्य चिकित्सा सामग्रियों की खरीद हेतु शीघ्र ई-प्रोक्योरमेंट प्रारंभ करने वाला हैं।

सभी प्रकार की दवाइयाँ, लैब सामग्री, सर्जिकल सामग्री (डिस्पोजेबल एवं नॉन-डिस्पोजेबल), दन्त चिकित्सा, एक्स-रे एवं ऑपरेशन थियेटर से सम्बंधित विविध सामग्रियों के वितरकों/विनिर्माताओं के तीन (3) वर्षों के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। योग्यता हेतु, अनुदेशों एवं शर्तों के लिए वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in का अवलोकन करे।

वे फर्म जो पहले से पश्चिम मध्य रेलवे में पंजीकृत हैं उन्हें भी केंद्रीय रेल चिकित्सालय की ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में भाग लेने हेतु भारतीय रेल ई-खरीद प्रणाली की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर पंजीयन कराना होगा।

फर्मों को www.ireps.gov.in पर लॉग इन करने के पश्चात् साईट के बाएँ तरफ मौजूद नए वेंडर लिंक पर क्लिक करना होगा एवं पंजीयन हेतु दिए गए फॉर्म को भरना होगा। वितरकों/विनिर्माताओं के पास वैद्य क्लास-3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं, जोकि लाइसेंस सी.ए. द्वारा जारी किया गया हो। आवेदन फॉर्म में दिए सभी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाए।

इच्छुक फर्म किसी भी कार्य-दिवस में सहायता हेतु मुख्य-फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर, केंद्रीय रेल चिकित्सालय, जबलपुर (संपर्क सूत्र: 0761-2629634) से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु कृपया www.wcr.indianrailways.gov.in देखे।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि विज्ञापन की प्रकाशन तिथि से 15 दिन हैं।


 चिकित्सा निदेशक
 चिकित्सालय, प.म.रेल जबलपुर
 केंद्रीय रेल चिकित्सालय/जबलपुर
 Medical Director
 Central Hospital, W.C.R., Jabalpur

पश्चिम मध्य रेल

केंद्रीय चिकित्सालय, पश्चिम मध्य रेल जबलपुर में वितरकों/विनिर्माताओं के पंजीकरण हेतु
आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना/नोटिस

केंद्रीय चिकित्सालय, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर में आईआरईपीएस (भारतीय रेल ई-खरीद प्रणाली) के माध्यम से इमरजेंसी खरीदी के तहत सभी प्रकार की दवाईयाँ, लैब सामग्री, सर्जिकल सामग्री (डिस्पोजेबल एवं नॉन-डिस्पोजेबल), दन्त चिकित्सा, एक्स-रे एवं ऑपरेशन थियेटर से सम्बंधित विविध सामग्रियाँ खरीदी जाती हैं। इस सम्बन्ध में वितरकों/विनिर्माताओं के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। केंद्रीय रेलवे चिकित्सालय को उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति निविदाओं में आईआरईपीएस के माध्यम से भाग लेने के लिए पंजीकृत फ़र्मों के पैनल/सूची में उनके नाम सम्मिलित किये जाने हैं।

पंजीकरण के लिए निम्न दस्तावेज एवं शर्तें अनिवार्य हैं :

१. दवा लाइसेंस संख्या एवं इसकी वैधता।
२. विनिर्माताओं के वितरकों के नाम प्राधिकार पत्र।
३. वितरक/विनिर्माता का पिछले तीन वर्षों का वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट/सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न।
४. फ़र्म का स्थापना प्रमाण पत्र।
५. फ़र्म को दोषी नहीं पाया गया हो और दवा एवं प्रसाधन अधिनियम तथा नियम के अंतर्गत कोई प्रकरण लंबित ना हो, इस प्रकार का घोषणा पत्र।
६. सभी पंजीकृत फ़र्मों (वितरकों/विनिर्माताओं) को सूचित किया जाता है कि वे क्लास III डिजिटल हस्ताक्षर लेकर आईआरईपीएस में पंजीकरण करा ले ताकि वे जल्द लागू होने वाली ई-खरीद में भाग ले सकें।
७. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि विज्ञापन की प्रकाशन तिथि से 15 दिन हैं।
८. आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय, चिकित्सा निदेशक, केंद्रीय चिकित्सालय, पश्चिम मध्य रेल, इंदिरा मार्केट, जबलपुर-482001 को भेजा जाए।
९. उपयुक्त विषय से सम्बंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए किसी भी कार्य-दिवस में कृपया मुख्य-फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर, केंद्रीय रेल चिकित्सालय, जबलपुर (संपर्क सूत्र: 0761-2629634) से संपर्क कर सकते हैं।
१०. यह दस्तावेज पश्चिम मध्य रेल के चिकित्सा विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।


 चिकित्सा निदेशक
 चिकित्सा निदेशक,
 केंद्रीय रेल चिकित्सालय, जबलपुर
 Medical Director,
 Central Hospital, W.C.Rly., Jabalpur

पश्चिम मध्य रेल

केंद्रीय चिकित्सालय, पश्चिम मध्य रेल जबलपुर में वितरकों/विनिर्माताओं के पंजीकरण हेतु
आवेदन पत्र का प्रोफार्मा

1	वितरक/विनिर्माता का नाम एवं पूरा पता (पिनकोड सहित)	
2	वितरक/विनिर्माता का फ़ोन नं., फैक्स नं एवं इ-मेल पता (एसटीडी कोड सहित)	
3	दवा लाइसेंस संख्या एवं इसकी वैधता	
4	विनिर्माताओं के प्राधिकार पत्र	
5	फर्म का स्थापना प्रमाण पत्र	
6	वितरक/विनिर्माता का पिछले तीन वर्षों का वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट/सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न	
7	वितरक/विनिर्माता को दोषी नहीं पाए जाने का घोषणा पत्र	
8	पैन कार्ड की प्रतिलिपि	
9	वैट/सीएसटी-टिन की प्रतिलिपि	
10	अन्य रेल/सरकारी संस्था के खरीद-आदेश की प्रतिलिपि (यदि कोई हो)	
11	अन्य कोई दस्तावेज (यदि कोई हो)	